

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

बनाम

प्रभजीत सिंह सोनी और अन्य

(सिविल अपील संख्या 7590-7591/2023)

12 फरवरी 2024

[न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा]

विचार के लिए मुद्दा

क्या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 60(5) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायनिर्णयन करने वाला प्राधिकरण- एनसीएलटी आईबीसी की धारा 31(1) के तहत पारित अनुमोदन के आदेश को वापस ले सकता है; क्या आदेश वापस लेने का प्रार्थनापत्र समय से बाधित था; क्या समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना आईबीसी की धारा 30(2) सपठित सीआईआरपी विनियम, 2016 के विनियम 37 और 38 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है और; अपीलकर्ता कितनी राहत, यदि कोई हो, का हकदार है।

हेडनोट

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016- धारा 30(2), 31(1), 60(5)- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016- राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नियमावली, 2016- नियम 11 - न्यायाधिकरण की अंतर्निहित शक्ति- धारा 31(1) के तहत पारित अनुमोदन के आदेश को वापस लेना- वापस लेने के लिए आवेदन की पोषणीयता- समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना, यदि धारा 30(2) सपठित सीआईआरपी विनियमन, 2016 की धारा 37 और 38 की आवश्यकताओं को पूरा करता है:

अभिनिर्धारित किया: किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के पास, इसके विपरीत किसी प्रावधान के अभाव में, न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने और/या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आदेश को वापस लेने की अंतर्निहित शक्ति है- न तो आईबीसी और न ही उसके तहत बनाए गए विनियम, किसी भी तरह से, ऐसी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग निषेध करते हैं- बल्कि, धारा 60(5)(सी) जो नॉन ओब्सटेटी खंड के साथ शुरू होता है, एनसीएलटी (न्यायनिर्णयन प्राधिकरण) को आईबीसी के तहत कॉर्पोरेट देनदार या कॉर्पोरेट व्यक्ति की दिवाला समाधान या परिसमापन कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले प्राथमिकताओं के किसी भी प्रश्न या कानून या तथ्यों के किसी भी प्रश्न पर विचार करने या निस्तारित करने का अधिकार देता है- इसके अलावा, एनसीएलटी

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

नियमावली, 2016 का नियम 11 न्यायाधिकरण की अंतर्निहित शक्ति को सुरक्षित रखता है- वर्तमान मामले में, रिकॉल आवेदन में लिए गए आधार वैध आधार हैं, जिस पर अनुमोदन के आदेश को वापस लेने की मांग की जा सकती है- इस प्रकार, रिकॉल आवेदन इस बात के बावजूद विचारणीय था कि निर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित अनुमोदन के आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी के समक्ष अपील की गई थी- अपीलकर्ता के आवेदन/अपील पर निर्णय लेते समय न तो एनसीएलटी और न ही एनसीएलएटी ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अपीलकर्ता को ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) की बैठक का नोटिस नहीं दिया गया था; समाधान योजना के अनुमोदन के चरण तक की संपूर्ण कार्यवाही अपीलकर्ता के लिए एकपक्षीय थी; अपीलकर्ता ने अपना दावा प्रस्तुत कर दिया था, और कानून के तहत वह एक सुरक्षित ऋणदाता था, फिर भी समाधान योजना ने अपीलकर्ता को ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया था; और समाधान योजना सीआईआरपी विनियम, 2016 के विनियम 37 और 38 के साथ पठित धारा 30(2) में निर्धारित सभी मापदंडों को पूरा नहीं करती थी- साथ ही, रिकॉल आवेदन पर समयबाधित नहीं था- आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया- समाधान योजना कोड द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करने के बाद पुनः प्रस्तुत करने के लिए सीओसी को वापस भेजा जाए। [पैरा 50, 52 और 55]

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016- सबूत के साथ प्रस्तुत दावे को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक अलग फॉर्म में है:

अभिनिर्धारित किया: भले ही कॉर्पोरेट देनदार (सीडी) के खिलाफ किसी लेनदार द्वारा प्रस्तुत दावा सीआईआरपी विनियम, 2016 में निर्दिष्ट फॉर्म में नहीं है, तो यदि यह अन्यथा सत्यापन योग्य है, या तो लेनदार द्वारा प्रस्तुत सबूत से या सीडी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड से, तो उस पर आईआरपी या आरपी, जैसा भी मामला हो, द्वारा उचित विचार किया जाना चाहिए- एक ठोस कारण से/फोरशिअरी, यदि कोई दावा परिचालन ऋणदाता द्वारा स्वयं को वित्तीय ऋणदाता के रूप में दावा करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, तो दावे पर उस श्रेणी में उचित विचार किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत वह आता है, बशर्ते कि वह सत्यापन योग्य हो- समाधान योजना से पता चला कि अपीलकर्ता ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि अपीलकर्ता का अखण्डनीय मामला यह था कि उसने सबूत के साथ अपना दावा प्रस्तुत किया था- हालांकि, अभिलेख इंगित करता है कि अपीलकर्ता को फॉर्म सी (वित्तीय ऋणदाता के लिए) के स्थान पर फॉर्म बी (परिचालन ऋणदाता के लिए) में अपना दावा प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी- लेकिन, यह मानते हुए कि अपीलकर्ता ने सलाह पर ध्यान नहीं दिया, एक बार जब दावा सबूत के साथ प्रस्तुत किया गया था, तो इसे केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह एक अलग फॉर्म में था- जिस फॉर्म में दावा प्रस्तुत किया जाना है वह निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है- आवश्यक यह है कि दावे का प्रमाण से समर्थन होना चाहिए- समाधान योजना न केवल किए गए दावे को स्वीकार करने में बल्कि बकाया और देय राशि के सही आंकड़े का उल्लेख करने में भी विफल रही। [पैरा 30, 54]

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016- विनियम 7, 8, 8-ए, 9, 9-ए, 12-14, 12 ए- कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया- चर्चा की गई।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नियमावली, 2016- नियम 11- न्यायाधिकरण की अंतर्निहित शक्ति- का प्रयोग- रिकॉल के लिए आवेदन, सीमित आधार पर पोषणीय:

अभिनिर्धारित किया: एनसीएलटी नियमावली, 2016 का नियम 11 न्यायाधिकरण की अंतर्निहित शक्ति को संरक्षित करता है- इसलिए न्यायाधिकरण को अपने आदेश को वापस लेने का अधिकार देने वाले एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में भी, न्यायाधिकरण के पास अपने आदेश को वापस लेने की शक्ति है- हालाँकि, ऐसी शक्ति का प्रयोग संयमित ढंग से किया जाना चाहिए, न कि मामले की दोबारा सुनवाई के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाना चाहिए- एक न्यायाधिकरण या न्यायालय को ऐसी सहायक या आनुषंगिक शक्तियां प्रदान की जाती हैं जो पक्षकारों के बीच न्याय करने के उद्देश्य से अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं और किसी वैधानिक निषेध के अभाव में, एक उचित मामले में, वह ऐसी सहायक या आनुषंगिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने आदेश को वापस ले सकती है- आमतौर पर, किसी आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन सीमित आधार पर विचारणीय होता है, अन्य चीजों के साथ-साथ, जहां आदेश क्षेत्राधिकार के बिना किया गया है; आदेश से व्यथित पक्ष को उस कार्यवाही की सूचना नहीं दी गई है जिसमें रिकॉल के तहत आदेश पारित किया गया है; और यह आदेश तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके या न्यायालय/न्यायाधिकरण के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त किया गया है जिसके परिणामस्वरूप न्याय में भारी विफलता हुई है। [पैरा 48, 50]

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 - धारा 30(2) - भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 - विनियम 37 और 38 - समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना सीआईआरपी विनियम, 2016 के विनियम 37 और 38 के साथ पठित आईबीसी की धारा 30(2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है- कारण बताए गए। [पैरा 54]

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016- धारा 60- कंपनी अधिनियम, 2013- धारा 408, 409- राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नियमावली, 2016- धारा 11- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- धारा 151:

अभिनिर्धारित किया गया: धारा 60 निर्दिष्ट करती है कि कॉर्पोरेट देनदारों और उनके व्यक्तिगत गारंटर्स सहित कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान और परिसमापन के संबंध में निर्णायक प्राधिकरण एनसीएलटी होगा, जिसका उस स्थान पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र होगा जहां कॉर्पोरेट व्यक्ति का पंजीकृत कार्यालय स्थित है- धारा 60(5) में प्रावधान है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, एनसीएलटी को किसी निगमित ऋणी या निगमित व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध किसी आवेदन या कार्यवाही को, निगमित ऋणी या निगमित व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए किसी दावे को, जिसके अंतर्गत भारत में स्थित उसकी समनुषंगियों द्वारा या उनके विरुद्ध किए गए दावे भी हैं, और पूर्विकता के किसी प्रश्न या विधि या तथ्यों के

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

ऐसे किसी प्रश्न को, जो आईबीसी के अधीन निगमित ऋणी या निगमित व्यक्ति की दिवाला समाधान या समापन कार्यवाहियों से या उसके संबंध में उद्धृत हुआ है, ग्रहण करने या उसके निपटारा करने की अधिकारिता होगी—कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 469 के तहत बनाए गए 2016 की नियमावली के नियम 11, जो सीपीसी, 1908 की धारा 151 के समान है, न्यायाधिकरण की अंतर्निहित शक्तियों को संरक्षित करता है। [पैरा 40-42]

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016– भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016– समाधान पेशेवर द्वारा किए गए कर्तव्य – पर चर्चा की गई।

शब्द और वाक्यांश– भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016– "विनियम 7 में एक परिचालन ऋणदाता होने का दावा करने वाला व्यक्ति"; "विनियम 8 में वित्तीय ऋणदाता होने का दावा करने वाला व्यक्ति":

अभिनिर्धारित किया: इंगित करें कि जिस श्रेणी में दावा प्रस्तुत किया गया है वह दावेदार की अपनी समझ पर आधारित है— ऐसी स्थिति हो सकती है जहां दावेदार, अच्छे विश्वास में, खुद को उस श्रेणी में रख सकता है जिससे वह संबंधित नहीं है— हालाँकि, महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्तुत किया गया दावा सबूत के साथ होना चाहिए— ऋण/दावे का सबूत क्या हो सकता है, यह सीआईआरपी विनियम, 2016 के विनियम 7 और 8 के उप-विनियम (2) में वर्णित है। [पैरा 20]।

वे केस लॉ जिनका हवाला दिया गया

घनश्याम मिश्रा एंड संस (प्रा.) लिमिटेड बनाम एडलवाइस एसेट पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड, [2021] 13 एस.सी.आर. 737: (2021) 9 एससीसी 657; जेपी केंसिंग्टन बुलेवार्ड अपार्टमेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, [2021] 12 एससीआर 603: (2022) 1 एससीसी 401; मनोहर लाल चोपड़ा बनाम राय बहादुर राव राजा सेठ हीरालाल, [1962] पूरक एससीआर 450: एआईआर 1962 एससी 527; ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड बनाम केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण, [1981] 2 एस.सी.आर. 341: 1980 सप्लीमेंट एससीसी 420; पंजाब राज्य बनाम दर्विंदर पाल सिंह भुल्लर, [2011] 15 एससीआर 540: (2011) 14 एससीसी 770; न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कृष्ण कुमार पांडे, (2021) 14 एससीसी 683; बुधिया स्वैन बनाम गोपीनाथ देव, [1999] 2 एससीआर 1189: (1999) 4 एससीसी 396; यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बनाम वित्तीय ऋणदाता, मेसर्स एमटेक ऑटो लिमिटेड एवं अन्य, सिविल अपील संख्या 4620/2023– पर अवलम्ब लिया गया।

न्यू ओखला विकास प्राधिकरण बनाम आनंद सोनभद्र, [2022] 5 एससीआर 319: (2023) 1 एससीसी 724; परिसीमा के विस्तार के लिए संज्ञान, [2021] 2 एससीआर 640: (2021) 5 एससीसी 452–संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड संहिता, 2016; भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016; उ.प्र. औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976;

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

कंपनी अधिनियम, 2013; राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नियमावली, 2016; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908।

कीवर्ड की सूची

न्यायाधिकरण की अंतर्निहित शक्ति; रिकॉल आवेदन; सबूत के साथ प्रस्तुत दावा; फॉर्म जो सीआईआरपी विनियमों में निर्दिष्ट नहीं है; फॉर्म निर्देशिका अनिवार्य नहीं; सहायक या आनुषंगिक शक्तियाँ; एक समान उपबंध।

निम्न से उत्पन्न मामला

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7590-7591/2023

सीएएटी (आई) संख्या 867/2021 और आईए संख्या 2315/2021 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 24.11.2022 के निर्णय और आदेश से

पक्षकारों की ओर से पेश

अपीलकर्ता की ओर से पेश अधिवक्तागण रवीन्द्र कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, बिनय कुमार दास, विपिन सक्सेना, सुश्री नेहा दास, सुश्री प्रियंका दास।

प्रत्यर्थियों की ओर से पेश अधिवक्तागण डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ भटनागर, वरिष्ठ अधिवक्ता, वर्धमान कौशिक, निशांत गौतम, ध्रुव जोशी, अभिनव सिंह, मयंक शर्मा, कु. संजना मेहरोत्रा, प्रचेता कर, आदित्य सिधरा, नदीम अफ़रोज़, अजय कनौजिया, आयुष शर्मा, वी एम कन्नन, जी.पी. मदान, आदित्य मदान, श्रीमती हरिमोहना एन, नरेश कौशिक, श्रीमती ललिता कौशिक।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा

1. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016¹ की धारा 62 के तहत ये अपीलें कंपनी अपील (एटी)(इं.) संख्या 867/2021 और आई.ए. संख्या 2315/2021 में पारित राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली³ के निर्णय और आदेश² के विरुद्ध दायर की गई हैं, जिसके तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली⁴ के दिनांक 05.04.2021 के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया गया है।

2. दिनांक 05.04.2021 के आदेश द्वारा, एनसीएलटी ने आईबीसी की धारा 60(5) के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया था, अर्थात्:

1 आईबीसी

3 एनसीएलटी

2 आदेश दिनांक 24.11.2022

4 एनसीएलटी

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(क) कंपनी याचिका संख्या (आईबी)-272 (एनडी)/2019 में आई.ए. संख्या 2201(पीबी)/2020 में एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.2020 को वापस लेने के लिए आई. ए. संख्या 1380/2021; और

(ख) अपीलकर्ता को एक परिचालन ऋणदाता के रूप में मानने और अपीलकर्ता को ऋणदाताओं की समिति⁵ की बैठकों के बारे में सूचित नहीं करने के समाधान पेशेवर (बाद में आरपी के रूप में संदर्भित) के निर्णय पर सवाल उठाते हुए आई.ए. संख्या 344/2021।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

3. उ.प्र. औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976⁶ की धारा 3 के तहत गठित एक वैधानिक प्राधिकारी होने के नाते अपीलकर्ता ने शहरी और औद्योगिक टाउनशिप की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया। 28.10.2010 को, इसके द्वारा अर्जित भूमि के भूखंडों में से एक भूखण्ड संख्या 01-सी, सेक्टर 16 सी, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र. को एक आवासीय परियोजना के लिए 90 वर्षों के लिए पट्टे के माध्यम से मेसर्स एस जेएनसी कंस्ट्रक्शन (प्रा.) लिमिटेड (निगमित ऋणी⁷) को आवंटित किया गया था जो 24 महीने की प्रारंभिक अधिस्थगन के बाद, प्रीमियम चार्ज करके, 29.10.2012 से 29.04.2020 तक किस्तों में देय था हालांकि यह ब्याज के साथ-साथ दंडात्मक ब्याज के भुगतान के अधीन था व कुछ शर्तों के अधीन, पट्टे को रद्द करने और पट्टे पर दी गई भूमि को फिर से लेने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए था। सीडी ने किस्तों के भुगतान में चूक की और उसे मांग के साथ रद्दीकरण से पूर्व नोटिस दिया गया।

4. कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया⁸ शुरू करने के लिए सीडी के खिलाफ एक कंपनी याचिका संख्या (आईबी)272(पीबी)/2019 दायर की गई, जो 30.05.2019 को स्वीकृत हुई। इसके परिणामस्वरूप, सार्वजनिक घोषणा के माध्यम से दावे आमंत्रित किये गये।

5. सार्वजनिक सूचना के अनुसरण में, जनवरी 2020 के महीने में, अपीलकर्ता ने 43,40,31,951 रुपये का दावा प्रस्तुत किया, जो पट्टे के प्रीमियम के लिए देय अदत्त किश्तें हैं। अपीलकर्ता द्वारा सीडी के वित्तीय ऋणदाता के रूप में दावा स्थापित किया गया था।

6. हालाँकि, आरपी ने अपीलकर्ता को एक परिचालन ऋणदाता के रूप में माना और दिनांक 04.02.2020 को ई-मेल के माध्यम से, अपीलकर्ता से सीडी के परिचालन ऋणदाता के रूप में फॉर्म बी में अपना दावा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

5 सीओसी

6 1976 अधिनियम

7 सीडी

8 सीआईआरपी

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

7. अपीलकर्ता ने परिचालन ऋणदाता के रूप में अपना दावा नये सिरे से प्रस्तुत नहीं किया। इस बीच, सीओसी ने एक योजना को मंजूरी दे दी जिसे अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। एनसीएलटी ने दिनांक 04.08.2020 के आदेश द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया।

8. पत्र दिनांक 24.09.2020 के माध्यम से यह जानकारी मिलने पर कि योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है एवं स्वीकृत कर दिया गया है, दिनांक 06.10.2020 को अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ समाधान योजना, अपीलकर्ता को एक परिचालन ऋणदाता के रूप में मानने का आरपी का निर्णय और उसके अनुसरण में सभी कार्रवाइयों को प्रश्रुत करते हुए आई.ए. संख्या 344/2021 दायर की। एक अन्य आई.ए. संख्या 1380/2021 दिनांक 15.03.2021 को दायर की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 04.08.2020 का आदेश वापस लेने की मांग की गई थी।

9. ऊपर उल्लिखित दो आवेदनों में, अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ अनुरोध किया, कि--

(क) अपीलकर्ता को एक परिचालन ऋणदाता के रूप में मानने में आरपी की ओर से घोर त्रुटि हुई थी, खासकर, जब उसके पास भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016⁹ के विनियमन 13 के तहत कोई न्यायिक शक्ति नहीं थी;

(ख) समाधान योजना में गलती से कहा गया है कि अपीलकर्ता ने दावा प्रस्तुत नहीं किया था, वास्तव में, यह प्रस्तुत किया गया था;

(ग) अपीलकर्ता को सीडी की संपत्ति पर वैधानिक प्रभार के साथ भूमि का मालिक होने के नाते एक सुरक्षित लेनदार के रूप में इसके बकाए के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी;

(घ) सीओसी द्वारा अपीलकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था, और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा योजना के अनुमोदन तक की पूरी प्रक्रिया एकपक्षीय थी।

एनसीएलटी का आदेश

10. एनसीएलटी ने आदेश दिनांक 5.4.2021 द्वारा उपरोक्त आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि जनवरी, 2020 में अपना दावा दायर करने की तारीख और अगस्त 2020 में योजना की मंजूरी की तारीख के बीच सात महीने बीत जाने के बावजूद, अपीलकर्ता ने अपने दावे पर निर्णय नहीं लेने के लिए आरपी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, भले ही इसे सीआईआरपी की शुरुआत के बारे में पता था और अब अपीलकर्ता के दावा आवेदन पर निर्णय लेने की अनुमति नहीं है क्योंकि सीआईआरपी योजना की मंजूरी के परिणामस्वरूप पूरी हो गई है।

एनसीएलटी के समक्ष अपील

11. एनसीएलटी के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर एनसीएलटी के समक्ष अपील दायर की:

9 सीआईआरपी विनियम 2016

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(i) अपीलकर्ता एक वित्तीय ऋणदाता था और इसलिए उसे सीओसी का सदस्य होना चाहिए था। सीओसी में अपीलकर्ता की अनुपस्थिति के कारण, सीओसी और उसके बाद एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना का अनुमोदन अमान्य हो गया है;

(ii) 1976 अधिनियम की धारा 13¹⁰, 13 क¹¹ और 14¹² के आधार पर, अपीलकर्ता के पास सीडी की संपत्ति का प्रभार था और इसलिए वह आईबीसी की धारा 3(30)¹³ सपठित धारा 3(31)¹⁴ के अर्थ के तहत एक सुरक्षित लेनदार था, फिर भी समाधान योजना अपीलकर्ता को एक सुरक्षित ऋणदाता के रूप में नहीं मानती है;

(iii) अपीलकर्ता ने सबूत के साथ अपना दावा प्रस्तुत किया था, फिर भी अपीलकर्ता को ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया जिसने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता को न तो सीओसी की बैठकों के बारे में सूचित किया गया और न ही समाधान योजना में एक सुरक्षित लेनदार और वैधानिक अधिकारों के साथ भूमि के मालिक के रूप में उसकी स्थिति के अनुरूप पर्याप्त राशि आवंटित की गई, जो आईबीसी की धारा 30(2)¹⁵ के प्रावधानों का उल्लंघन है; और

10 धारा 13- जुमाना लगाना और बकाया की वसूली का तरीका- जहां कोई अंतरिती प्राधिकरण द्वारा किसी स्थल या भवन के हस्तांतरण के कारण देय किसी प्रतिफल राशि या उसकी किस्त या किसी अन्य राशि के भुगतान में कोई चूक करता है या किसी भी पट्टे के संबंध में, प्राधिकरण को किसी किराए के भुगतान में कोई चूक करता है, या जहां कोई हस्तांतरण या अधिभोगी इस अधिनियम के तहत लगाए गए शुल्क या कर की किसी भी राशि के भुगतान में कोई चूक करता है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्देश दे सकता है कि बकाया राशि के अलावा, एक अतिरिक्त राशि जो उस धनराशि से अधिक न हो, यथास्थिति, हस्तांतरिती या अधिभोगी से दंड के रूप में वसूल की जाएगी।

11 धारा 13 क- धारा 13 के तहत प्राधिकरण को देय कोई भी राशि संपत्ति पर एक शुल्क लगाएगी और इसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 [1959 का अधिनियम 2] की धारा 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 513 और 514 के तहत उपबंधित तरीके से संपत्ति की कुर्की और बिक्री के माध्यम से वसूल किया जा सकता है और उक्त अधिनियम के ऐसे प्रावधान किसी प्राधिकरण के बकाया की वसूली पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे जैसे वे नगर निगम को देय कर की वसूली के लिए लागू होते हैं, हालांकि उक्त अधिनियम की उपरोक्त धाराओं में "नगर आयुक्त", "निगम अधिकारी" और "निगम" के संदर्भ को क्रमशः "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" और "प्राधिकरण" के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

बशर्ते कि वसूली के एक से अधिक तरीके एक साथ शुरू या जारी नहीं रखे जाएंगे।

12 धारा 14- अंतरण की शर्तों के उल्लंघन के लिए जब्ती- (1) प्राधिकरण द्वारा किसी स्थल या भवन के अंतरण के कारण प्रतिफल राशि या उसकी किसी किस्त का भुगतान न करने की स्थिति में या ऐसे हस्तांतरण की किसी शर्त के उल्लंघन के मामले में या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम या विनियम के उल्लंघन पर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस प्रकार हस्तांतरित स्थल या भवन को फिर से ले सकता है और इसके संबंध में भुगतान की गई पूरी धनराशि या उसका कोई हिस्सा, यदि कोई हो, जब्त कर सकता है।

(2) जहां मुख्य कार्यकारी अधिकारी उप-धारा (1) के तहत किसी स्थल या भवन को फिर से लेने का आदेश देता है, कलेक्टर अपनी स्वयं की मांग पर, उसे परिदान दिए जाने के लिए कब्जा दिलवा सकता है और ऐसा बल जो आवश्यक हो से उस उद्देश्य के लिए उसका उपयोग कर सकता है या करवा सकता है।

13 धारा 3(30)- "प्रतिभूत लेनदार" से कोई लेनदार अभिप्रेत है जिसके पक्ष में प्रतिभूति हित सृजित किया गया है।

14 धारा 3(31)- "प्रतिभूति हित" से किसी संव्यवहार द्वारा किसी प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में सृजित या उसके लिए उपलब्ध संपत्ति में का अधिकार, हक या हित या कोई दावा अभिप्रेत है, जो किसी बाध्यता के संदाय या पालन को प्रतिभूत करता है और इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की किसी बाध्यता के संदाय या पालन को प्रतिभूत करने वाला बंधक, प्रभार, आडमान, समनुदेशन और विवर्ग या अन्य कोई करार या ठहराव भी है:

परंतु प्रतिभूति हित के अंतर्गत कोई पालन प्रत्याभूति नहीं होगी।

15 धारा 30. समाधान योजना को प्रस्तुत करना - (1)

(2) समाधान वृत्तिक उसको प्राप्त प्रत्येक समाधान योजना की परीक्षा यह पुष्टि करने के लिए करेगा कि प्रत्येक समाधान योजना-

(क) दिवालिया समाधान प्रक्रिया लागतों का संदाय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में निगमित ऋणी के अन्य ऋणों के संदाय पर पूर्विकता से किए जाने का उपबंध करती है;

(ख) प्रचालन लेनदारों के ऋणों के संदाय के लिए ऐसी रीति में उपबंध करती है, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, और जो-

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(iv) एनसीएलटी सही परिप्रेक्ष्य में उठाए गए आधारों को देखने और उनको समझने में विफल रहा।

एनसीएलटी के निष्कर्ष

12. अपीलकर्ता द्वारा की गई अपील को अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए खारिज कर दिया गया,

(i) अभिलेख पर मौजूद दस्तावेज दर्शाते हैं कि आरपी ने अपीलकर्ता को परिचालन ऋणदाता के रूप में उसकी स्थिति के बारे में और फॉर्म 'बी' में अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 04.02.2020 को ईमेल द्वारा सूचित किया था, फिर भी अपीलकर्ता ने अपना दावा दायर नहीं करने का विकल्प चुना;

(ii) न्यू ओखला विकास प्राधिकरण बनाम आनन्द सोनभद्र¹⁶ में, यह माना गया कि आईबीसी की धारा 5(8)¹⁷ के अर्थ के तहत वित्तीय ऋण बनाने के लिए संवितरण एक अनिवार्य आवश्यकता है और वह भी, संवितरण

(i) धारा 53 के अधीन निगमित ऋणी के परिसमापन की दशा में ऐसे लेनदारों को संदत्त की जाने वाली रकम से

(ii) ऐसी रकम से, जो ऐसे लेनदारों को उस समय संदत्त की गई होती, यदि समाधान योजना के अधीन वितरित की जाने वाली रकम को धारा 53 की उपधारा (1) में पूर्विकता के क्रमानुसार वितरित किया गया होता,

इनमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगी और ऐसे वित्तीय लेनदारों के, जो समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं, ऋणों के संदाय के लिए, ऐसी रीति में उपबंध करती है, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, जो निगमित ऋणी के परिसमापन की दशा में धारा 53 की उपधारा (1) के अनुसार ऐसे लेनदारों को संदत्त की जाने वाली रकम से कम नहीं होगी।

स्पष्टीकरण 1 — शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के उपबंधों के अनुसार किया गया कोई वितरण ऐसे लेनदारों के लिए उचित और साम्यापूर्ण होगा।

स्पष्टीकरण 2 — इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख से ही इस खंड के उपबंध किसी निगमित ऋणी की निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया को भी वहां लागू होंगे, —

(i) जहां किसी समाधान योजना को न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है या उसे नामंजूर कर दिया गया है;

(ii) जहां धारा 61 या धारा 62 के अधीन कोई अपील की गई है या ऐसी कोई अपील तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध के अधीन समय वर्जित नहीं है; या

(iii) जहां किसी समाधान योजना के संबंध में न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के विनिश्चय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई विधिक कार्यवाही आरंभ की गई है।

(ग) समाधान योजना के अनुमोदन के पश्चात् निगमित ऋणी के कार्यों के प्रबंध के लिए उपबंध करती है;

(घ) समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण का उपबन्ध करती है,

(ङ) तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी भी उपबंध का उल्लंघन नहीं करती है,

(च) ऐसी अन्य अपेक्षाओं के अनुरूप है, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

16 [2022] 5 एससीआर 319: (2023) 1 एससीसी 724

17 धारा 5(8)– “वित्तीय ऋण” से ब्याज, यदि कोई हो, के साथ कोई ऋण अभिप्रेत है जो धन के समय मूल्य के लिए प्रतिफल के विरुद्ध संवितरित किया गया है और इसके अंतर्गत है—

(क) ब्याज के संदाय के लिए उधार लिया गया धन;

(ख) किसी स्वीकृति प्रत्यय सुविधा के अधीन स्वीकृति द्वारा जुटाई गई कोई रकम या उसको अक्रियान्वित समतुल्य;

(ग) किसी नोट क्रय सुविधा के अनुसरण में जुटाई गई कोई रकम या बंधपत्र, नोट, डिबेंचर, ऋण स्टाक या किसी वैसी ही लिखत का निर्गमन;

(घ) किसी पट्टे या अवक्रय संविदा के संबंध में किसी दायित्व की रकम जो भारतीय लेखा मानक या ऐसे अन्य लेखा मानकों के, जो विहित किए जाएं, अधीन किसी वित्त या पूंजी पट्टे के रूप में समझी गई है; (ङ) गैर-अवलंब आधार पर विक्रीत किन्हीं प्राप्यों से भिन्न विक्रीत या मितिकाटा प्राप्य;;

(च) किसी अन्य संव्यवहार के अधीन जुटाई गई कोई रकम, जिसके अंतर्गत उधार लेने का वाणिज्यिक प्रभाव वाला कोई अग्रिम विक्रय या क्रय करार भी है;

स्पष्टीकरण— इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,—

अस्वीकरण: “क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

लेनदार से देनदार को होना चाहिए, और चूंकि अपीलकर्ता द्वारा निष्पादित पट्टा वित्तीय पट्टा या पूंजी पट्टा नहीं था, इसलिए अपीलकर्ता वित्तीय ऋणदाता के रूप में योग्य नहीं है;

(iii) समाधान योजना को निर्णायक प्राधिकरण द्वारा 04.08.2020 को मंजूरी दे दी गई थी और योजना के कार्यान्वयन की मांग करने वाले सफल समाधान आवेदक (एसआरए) ने योजना के बारे में पत्र दिनांक 24.09.2020 द्वारा अपीलकर्ता को सूचित किया था, फिर भी आई.ए. संख्या 344/ 2021 दिनांक 06.10.2020 से पहले दाखिल नहीं किया गया था तथा रिकॉल की मांग करने वाले आई.ए. संख्या 1380/2021, को केवल 15.03.2021 को दायर किया गया था, जो दर्शाता है कि अपीलकर्ता अपने अधिकार के प्रति, यदि कोई हो, सतर्क नहीं था, इसलिए समाधान योजना के अनुमोदन के बाद चुनौती को खारिज किया जा सकता है; और

(iv) समाधान योजना के अनुमोदन में कोई सारवान अनियमितता नहीं दिखती है, खासकर, जब सीओसी का व्यावसायिक ज्ञान न्यायसंगत नहीं है।

13. हमने अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रवीन्द्र कुमार, प्रत्यर्थी संख्या 2 (समाधान आवेदक) की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और प्रत्यर्थी संख्या 1 (समाधान पेशेवर) की ओर से श्री वी.एम. कन्नन को सुना है।

अपीलकर्ता की ओर से दिए गए तर्क

14. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि:

(क) इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता ने सीडी की संपत्ति पर प्रतिभूति हित रखने वाले वित्तीय ऋणदाता के रूप में 30.01.2020 को सबूत के साथ अपना दावा प्रस्तुत किया था। भले ही अपीलकर्ता वित्तीय ऋणदाता नहीं था, समाधान योजना में एक प्रतिभूति ऋणदाता के रूप में उसके दावे पर ध्यान दिया जाना चाहिए था, जबकि दिनांक 4.8.2020 के अनुमोदन आदेश में अपीलकर्ता को ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जिसने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया था।

(ख) सीओसी की बैठकों में भाग लेने के लिए अपीलकर्ता को सूचित नहीं किया गया था। इसके अभाव में, समाधान योजना निष्प्रभावी हो गई।

(i) किसी भू-संपदा परियोजना के अधीन किसी आबंटिती से ली गई किसी रकम को ऐसी रकम के रूप में माना जाएगा, जिसका आधार के रूप में वाणिज्यिक प्रभाव है; और

(ii) “आबंटिती” और “भू-संपदा परियोजना” पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के खंड (घ) और खंड (यद) में है;]

(छ) किसी दर या कीमत में उतार-चढ़ाव के विरुद्ध या उससे लाभ के संरक्षण के संबंध में किया गया कोई व्युत्पन्न संव्यवहार और किसी भी संव्यवहार के मूल्य की संगणना करने के लिए केवल ऐसे संव्यवहार के बाजार मूल्य को हिसाब में लिया जाएगा;

(ज) किसी प्रत्याभूति, क्षतिपूर्ति, बंधपत्र, प्रत्यय का दस्तावेजी पत्र या किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा जारी किसी अन्य लिखत के संबंध में कोई प्रति क्षतिपूर्ति बाध्यता;

(झ) इस खंड के उपखंड (क) से (ज) में निर्दिष्ट किसी मद के लिए किसी प्रत्याभूति या क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी दायित्व की रकम;

अस्वीकरण: “क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

(ग) समाधान योजना को मंजूरी देते समय, निर्णय लेने वाला प्राधिकारी इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि क्या योजना में अपीलकर्ता के दावे और वैधानिक प्रभार जो अपीलकर्ता ने सीडी की संपत्ति पर प्राप्त किया था, के अनुरूप प्रावधान किए थे। इतना ही नहीं, इसने भूमि पर अपीलकर्ता के स्वामित्व और वैधानिक अधिकारों की अनदेखी की और इस तरह यह विचार करने में विफल रहा कि क्या योजना व्यवहार्य और व्यावहारिक थी। इस प्रकार के विचार के अभाव में, अनुमोदन का आदेश निष्प्रभावी हो गया।

(घ) यह निष्कर्ष कि अपीलकर्ता की ओर से इसके अनुतोष पर कार्यवाही करने में देरी हुई थी, गलत धारणा है, खासकर जब यह अभिलेख पर स्थापित किया गया था कि आई.ए. संख्या 344/ 2021 योजना के अनुमोदन के संबंध में निगरानी एजेंसी से दिनांक 24.09.2020 को सूचना प्राप्त होने पर तत्काल दिनांक 6.10.2020 को दायर की गयी। इसी तरह, आई.ए. संख्या 1380/2021 15.03.2021 को तुरंत तब दायर किया गया था जब 15.03.2020 और 14.03.2021 के बीच लगाए गए किसी मुकदमे, अपील, आवेदन या कार्यवाही के लिए परिसीमा की अवधि का निलंबन **परिसीमा के विस्तार के लिए संज्ञान के मामले¹⁸** में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 8.03.2021 के संदर्भ में हटा दिया गया था।

प्रत्यर्थियों की ओर से दिए गए तर्क

15. प्रत्यर्थियों की ओर से बहस करते हुए डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह मुद्दा कि क्या अपीलकर्ता की तरह औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण को पट्टे/आवंटन प्रीमियम/किराये के लिए देय बकाया वित्तीय ऋण होगा या नहीं, अब यह अनिर्णीत विषय नहीं है, क्योंकि यह **आनन्द सोनभद्र (सुप्रा)** में इस न्यायालय के एक निर्णय द्वारा तय हो गया है, जिसमें यह माना गया है कि यह वित्तीय ऋण नहीं है। इसलिए, अपीलकर्ता के पास सीओसी में मतदान का कोई अधिकार नहीं था। और चूंकि अपीलकर्ता ने अपना मामला केवल इस आधार पर उठाया कि वह एक वित्तीय ऋणदाता है, इसलिए अनुमोदन के आदेश को चुनौती देने का कोई आधार नहीं था। इसके अलावा, सीओसी का व्यावसायिक ज्ञान न्यायसंगत नहीं है। इसके अलावा, एक बार समाधान योजना, जो अपीलकर्ता के लिए प्रावधान करती है, को निर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, तो इसे रिकॉल के आवेदन के माध्यम से प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।

विश्लेषण

16. इससे पहले कि हम विरोधी तर्कों के विरुद्ध आक्षेपित आदेश की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ें, आईबीसी के वैधानिक प्रावधानों और कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के संदर्भ में उसके तहत बनाए गए विनियमों पर एक नज़र डालना उपयोगी होगा।

17. आईबीसी के प्रावधानों के अनुसार, किसी याचिका के स्वीकार होने और धारा 13 के तहत अधिस्थगन की घोषणा पर, एक निर्दिष्ट तिथि तक सीडी के खिलाफ दावे आमंत्रित करने के लिए एक सार्वजनिक घोषणा की जाती है। जिस तरीके से सार्वजनिक घोषणा की जानी है और दावे प्रस्तुत किए जाने हैं, उसका वर्णन सीआईआरपी विनियम 2016 में किया गया है।

18 [2021] 2 एससीआर 640: (2021) 5 एससीसी 452

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

18. सीआईआरपी विनियम, 2016 का विनियम 7¹⁹ एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दावा प्रस्तुत करने से संबंधित है जो खुद को एक परिचालन ऋणदाता होने का दावा करता है। ऐसा दावा अनुसूची में निर्दिष्ट फॉर्म बी में प्रस्तुत किया जाना है। जबकि विनियम 8²⁰ उस व्यक्ति द्वारा दावा प्रस्तुत करने से संबंधित है जो स्वयं को वित्तीय ऋणदाता होने का दावा करता है। ऐसा दावा फॉर्म सी में प्रस्तुत किया जाना है। विनियम 8-क, 9 और 9-क लेनदारों के अन्य वर्गों से संबंधित हैं जिनसे हमारा यहां कोई संबंध नहीं है।

19 7. परिचालन लेनदारों के दावे- (1) कारपोरेट ऋणी के श्रमिक या कर्मचारी को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति जो परिचालन लेनदार होने का दावा करता है, सबूत सहित अपना दावा अस्थायी समाधान व्यावसायिक को अनुसूची के प्रारूप ख में व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेगा:

परंतु कि वह व्यक्ति समिति की गठन से पहले अपने दावे के समर्थन में अनुपूरक दस्तावेज या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा।

(2) इस विनियमन के अधीन परिचालन लेनदार होने के नाते ऋण विद्यमान होने को निम्नलिखित के आधार प्रमाणित किया जा सकता है -

(क) इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, यदि हो, के पास उपलब्ध रिकार्ड, या

(ख) अन्य संबंधित दस्तावेज, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं -

(i) कारपोरेट ऋणी के साथ वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं के लिए की गई संविदा,

(ii) कारपोरेट ऋणी को दी गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान की मांग करने वाला बिल,

(iii) न्यायालय या अधिकरण का आदेश जिसने ऋण, यदि हो, का भुगतान न करने पर निर्णय दिया है,

(iv) वित्तीय लेखा।

208. वित्तीय लेनदारों के दावे - (1) लेनदारों के किसी वर्ग से संबंधित किसी वित्तीय लेनदार से भिन्न वित्तीय लेनदार के रूप में दावा करने वाला व्यक्ति अनुसूची-1 के प्रारूप ग में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अस्थायी समाधान व्यावसायिक को दावे का प्रमाण प्रस्तुत करेगा:

परंतु कि वह व्यक्ति समिति की गठन से पहले अपने दावे के समर्थन में अनुपूरक दस्तावेज या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा।

(2) इस विनियमन के अधीन वित्तीय लेनदार होने के नाते ऋण विद्यमान होने को निम्नलिखित के आधार प्रमाणित किया जा सकता है-

(क) इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, यदि हो के पास उपलब्ध रिकार्ड, या

(ख) अन्य संबंधित दस्तावेज, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं -

(i) ऋण के प्रमाण के रूप में वित्तीय कथन द्वारा समर्थित वित्तीय संविदा;

(ii) एक रिकार्ड जिसमें यह प्रमाण हो कि वित्तीय लेनदार द्वारा किसी सुविधा के अधीन कारपोरेट ऋणी को वचन दी गई राशि कारपोरेट ऋणी ने आहरित कर ली है;

(iii) वित्तीय कथन जिसमें यह दर्शाया गया हो कि ऋण 34 [संदत्त] नहीं किया गया है; या

(iv) न्यायालय या अधिकरण का आदेश जिसने ऋण, यदि हो, का भुगतान न करने पर निर्णय दिया है।

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

19. विनियम 12²¹ में निर्दिष्ट तिथि तक दावे का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। वहीं, विनियम 13²² जैसा भी मामला हो, अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) या आरपी द्वारा दावों के सत्यापन की बात करता है। विनियम 14²³ जहां दावा की गई राशि सटीक नहीं है, वहां दावे की राशि के निर्धारण का प्रावधान है।

20. विनियम 7 के आरंभिक भाग में "परिचालन ऋणदाता होने का दावा करने वाला व्यक्ति" शब्दों का प्रयोग और "वित्तीय ऋणदाता होने का दावा करने वाला व्यक्ति" शब्द का विनियम 8 में प्रयोग यह इंगित करता है कि जिस श्रेणी में दावा प्रस्तुत किया गया है वह दावेदार की अपनी समझ पर आधारित है। इस प्रकार, ऐसी स्थिति हो सकती है जहां दावेदार, अच्छे विश्वास में, खुद को उस श्रेणी में रख सकता है जिससे वह संबंधित नहीं है। हालाँकि, महत्वपूर्ण यह है कि प्रस्तुत किया गया दावा सबूत के साथ होना चाहिए। ऋण/दावे का सबूत क्या हो सकता है, इसका विवरण सीआईआरपी विनियम, 2016 के विनियम 7 और 8 के उप-विनियम (2) में दिया गया है।

21. एक बार किसी विनियम (अर्थात्, विनियम 7, 8, 8-क, 9 और 9-क) के तहत सबूत के साथ दावा प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो विनियम 13 के अनुसार, आईआरपी या आरपी, जैसा भी मामला हो, को दिवाला शुरू होने की तारीख पर दावे को सत्यापित करना होगा और उसके बाद लेनदारों की एक सूची बनाना होगा जिसमें उनके द्वारा दावा की गई राशि, स्वीकार किए गए उनके दावों की राशि और ऐसे दावों के संबंध में प्रतिभूति

21 12. दावों के प्रमाण प्रस्तुत करना- (1) उप-विनियमन (2) के अधीन कोई लेनदार सार्वजनिक घोषणा में उल्लिखित अंतिम तारीख को या उससे पहले अपने सबूत सहित दावा प्रस्तुत करेगा।

(2) ऐसा लेनदार, जो कि सार्वजनिक उद्घोषणा में अनुबद्ध समय के भीतर सबूत सहित दावा प्रस्तुत करने में असफल रहता है, दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से नब्बे दिन या उससे पूर्व यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक को सबूत सहित दावा प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) यदि उप-विनियम (2) में लेनदार 45 [विनियम 8 के अधीन वित्तीय लेनदार] है तो उसे उस दावे की स्वीकृति की तारीख से समिति में शामिल किया जाएगा:

परंतु कि इस प्रकार शामिल करने का इससे पहले समिति द्वारा लिए गए किसी निर्णय की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

22 13. दावों का सत्यापन- (1) अस्थायी समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा भी हो शोधन अक्षमता प्रारंभ होने की तारीख को दावे प्राप्त होने की अंतिम तारीख से सात दिन के भीतर प्रत्येक दावे का सत्यापन करेगा और इसके बाद लेनदारों की एक सूची रखेगा जिसमें लेनदारों के नाम के साथ-साथ उनके द्वारा दावा की राशि, दर्ज दावों की राशि और ऐसे दावों के संबंध में प्रतिभूति ब्याज, यदि हों, तो शामिल होंगे तथा उसे अद्यतन करेगा।

(2) लेनदारों की सूची -

(क) उन व्यक्तियों द्वारा देखे जाने के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने दावों का प्रमाण प्रस्तुत किया है;

(ख) कारपोरेट ऋणी के सदस्यों, भागीदारों, निदेशकों और गारंटी दाता 47[या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों] द्वारा देखे जाने के लिए उपलब्ध होगी;

(ग) कारपोरेट ऋणी की वेबसाइट, यदि हो, पर रखी जाएगी;

(गक) बोर्ड के इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर, उसकी बैवसाइट पर प्रसारण के लिए फाइल की जाएगी:

परन्तु यह खंड भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2020 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् चालू और प्रारंभ होने वाली प्रत्येक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को लागू होगा;

(घ) निर्णायक अधिकारी के पास फाइल की जाएगी; और

(ङ) समिति की पहली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

2314. दावे की राशि निर्धारित करना- (1) यदि लेनदार द्वारा दावा की गई राशि किसी आकस्मिकता या अन्य कारण से स्पष्ट न हो, तो अस्थायी समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा भी हो उसके पास उपलब्ध सूचना के आधार पर दावे की राशि का सर्वोत्तम ढंग से अनुमान लगाएगा।

(2) अस्थायी समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा भी हो उप-विनियमन (1) के अधीन किए गए दावों के अनुमान सहित स्वीकृत दावों की राशि यदि उसे कोई अतिरिक्त ऐसी सूचना मिले जिसके लिए संशोधन अपेक्षित हो, तो जब भी व्यवहार्य हो, इसे संशोधित करेगा।"

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

ब्याज, यदि कोई हो, के साथ लेनदारों के नाम शामिल हों और इसे विनियम 12 क²⁴ के अनुसार अद्यतन करना होगा।

22. जैसा कि सीआईआरपी विनियम, 2016 से देखा जा सकता है, सबूत के साथ दावा प्रस्तुत करने पर, आईआरपी या आरपी, जैसा भी मामला हो, को दावे को सत्यापित करना होगा और लेनदारों की एक सूची तैयार करनी होगी जिसमें लेनदारों के नाम के साथ उनके द्वारा दावा की गई राशि और प्रतिभूति ब्याज, यदि कोई हो, शामिल होंगे, ऊपर विश्लेषण किए गए प्रावधानों से व्युत्पन्न तार्किक निष्कर्ष यह होगा कि जिस फॉर्म में सीआईआरपी विनियम 2016 के तहत दावा प्रस्तुत किया जाना है वह निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दावे को सबूत के साथ समर्थित किया जाना चाहिए।

23. सीडी के सापेक्ष प्राप्त दावों के मिलान पर, आईआरपी को एक सीओसी का गठन करना होगा। आईबीसी की धारा 21 (2) के अनुसार, धारा 21 के अन्य प्रावधानों के अधीन, सीओसी में सीडी के सभी वित्तीय लेनदार शामिल होने चाहिए। आईबीसी की धारा 22 के तहत, सीओसी अपनी पहली बैठक में एक आरपी की नियुक्ति करती है। हालाँकि, यह बोर्ड द्वारा पुष्टि के अधीन, आईआरपी को आरपी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय ले सकता है।

24. आरपी के पास कई महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। आईबीसी की धारा 25 के तहत निम्नलिखित कुछ कर्तव्य हैं जिनका आरपी को निर्वहन करना होगा: (क) सीडी के व्यावसायिक अभिलेख सहित सीडी की सभी संपत्तियों की तत्काल अभिरक्षा और नियंत्रण लेना; (ख) दावों की एक अद्यतन सूची बनाना; (ग) सीओसी की सभी बैठकें बुलाना और उनमें भाग लेना; (घ) सीआईआरपी विनियम 2016²⁵ के विनियम 36 के साथ पठित धारा 29 के

24 12 क. दावे का अद्यतन किया जाना- लेनदार, अपने दावे को, जैसे की उस दावे की दिवाला प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् किसी भी स्रोत से किसी भी रीति में भागतः या पूर्णतः तृप्ति हो जाती है, अद्यतन करेगा।

25 विनियमन 36. सूचना ज्ञापन- (1) समाधान व्यावसायिक, उप-विनियम [4] के अधीन रहते हुए अपनी नियुक्ति के दो सप्ताह के भीतर लेकिन दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से चौवनवें दिन के बाद नहीं, जो भी पहले हो, समिति के प्रत्येक सदस्य को इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना ज्ञापन प्रस्तुत करेगा ।

(2) सूचना ज्ञापन में कारपोरेट ऋणी के निम्नलिखित ब्यौरे शामिल होंगे-

(क) दिवाला प्रारंभ होने की तारीख को ऐसे विवरण सहित आस्तियां और दायित्व, जो उनके मूल्य अभिनिश्चित करने के लिए आमतौर पर आवश्यक हैं।

स्पष्टीकरण: विवरण के अंतर्गत वे ब्यौरे आते हैं, जैसे अर्जन की तारीख, अर्जन की लागत, शेष उपयोगी अवधि, पहचान संख्यांक, प्रभारित अवक्षयण, बही मूल्य और कोई अन्य सुसंगत ब्यौरे।

(ख) नवीनतम वार्षिक वित्तीय विवरण,

(ग) कारपोरेट ऋणी के पिछले दो वर्षों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और वर्तमान वित्तीय वर्ष का अस्थायी वित्तीय विवरण जो आवेदन की तारीख से 14 दिनों से अधिक पहले की न हो,

(घ) लेनदारों की सूची जिसमें लेनदारों के नाम, उनके द्वारा दावाकृत राशि, उनके स्वीकृत दावों की राशि और इन दावों से संबंधित प्रतिभूति लाभ यदि कोई हो, निहित हों,

(ङ) कारपोरेट ऋणी की और से या कारपोरेट ऋणी को संबंधित पक्षों संबंधी देय ऋण के ब्यौरे,

(च) कारपोरेट ऋणी के ऋणों से संबंधित अन्य व्यक्तियों द्वारा दी गई गारंटी के ब्यौरे, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया हो कि कौन सा गारंटीदाता संबंधित पक्ष है;

(छ) कारपोरेट ऋणी कंपनी में कम से कम एक प्रतिशत शेयर रखने वाले सदस्यों या भागीदारों का नाम व पता और उनके शेयरों का आकार;

(ज) सरकार और संवैधानिक प्राधिकरणों द्वारा दायर सभी महत्वपूर्ण मुकदमों और किसी चालू जांच और कार्यवाही के ब्यौरे,

(झ) मजदूरों और कर्मचारियों की संख्या और उनके प्रति कारपोरेट ऋणी की देयता,

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अनुसार सूचना ज्ञापन तैयार करना; (ड़) संभावित समाधान आवेदकों को समाधान योजना या योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करना; और (च) सीओसी की बैठकों में सभी समाधान योजनाएं प्रस्तुत करना।

25. सीओसी की बैठकें आरपी द्वारा आयोजित की जानी हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, धारा 24²⁶ की उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि यदि उनकी कुल बकाया राशि ऋण के दस प्रतिशत से कम नहीं है, तो आरपी परिचालन लेनदारों या उनके प्रतिनिधियों को सीओसी की प्रत्येक बैठक की सूचना देगा। सीआईआरपी विनियम, 2016 का विनियमन 19 आरपी को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि बैठक की सूचना प्रत्येक भागीदार को दी जाए। "प्रतिभागी" को सीआईआरपी विनियमन 2016 के विनियम 2 (एल) में एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो आईबीसी की धारा 24 के तहत सीओसी की बैठक में भाग लेने का हकदार है या बैठक में भाग लेने के लिए सीओसी द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति।

26. सूचना ज्ञापन के आधार पर, जब आईबीसी की धारा 29-ए के तहत पात्र किसी समाधान आवेदक द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत की जाती है, तो जैसा कि सीआईआरपी विनियमन 2016 के विनियम 37²⁷ और 38²⁷

(ज) विलोपित

(ट) विलोपित

(ठ) अन्य सूचना जो समाधान व्यावसायिक समिति को बताना उचित समझे।

(3) समिति का कोई सदस्य समाधान व्यवसायिक से इस विनियमन में वर्णित अन्य सूचनाओं का अनुरोध कर सकता है और यदि समाधान योजना पर ऐसी सूचना का प्रभाव पड़ता है तो समाधान व्यवसायिक उचित समय के भीतर सभी सदस्यों के ऐसी सूचना प्रदान करेगा।

(4) समाधान वृत्तिक, समिति के किसी सदस्य से इस आशय का वचनबंध प्राप्त करने के पश्चात् कि ऐसा सदस्य या समाधान आवेदक जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेगा और ऐसी जानकारी का, स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ या अनुचित हानि कारित करने के लिए प्रयोग नहीं करेगा और धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा, सूचना ज्ञापन को साझा करेगा।

26 धारा 24. लेनदारों की समिति की बैठक – (1)

(2)

(3) समाधान वृत्तिक लेनदारों की समिति की प्रत्येक बैठक की सूचना निम्नलिखित को देगा—

(क) [धारा 21 की उपधारा (6) और उपधारा (6 क) तथा उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्राधिकृत प्रतिनिधियों सहित वृत्तिक लेनदारों की समिति] के सदस्यों को;

(ख) यथास्थिति, निदेशक बोर्ड के निलंबित सदस्यों या निगमित व्यक्तियों के भागीदारों को;

(ग) प्रचालन लेनदारों या उनके प्रतिनिधियों को, यदि उनके कुल शोध्यों की रकम ऋण के दस प्रतिशत से कम नहीं है।

27 विनियमन 37. समाधान योजना – किसी समाधान योजना में ऐसे अध्युपाय होंगे, जो निगमित ऋणी की आस्तियों के मूल्य के अधिकतम मूल्यांकनके लिए आवश्यक हों, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं किन्तु यहां तक सीमित नहीं हैं।

(क) निगमित ऋणी की समस्त या आंशिक आस्तियों का एक या अधिक व्यक्तियों को अंतरण करना;

(ख) समस्त या आंशिक आस्तियों का, चाहे वे किसी प्रतिभूति हित के अध्यधीन हैं अथवा नहीं, विक्रय करना;

(खक) कारपोरेट ऋणी की विलयन, समामेलन और निर्विलियन द्वारा पुनर्संरचना

(ग) निगमित ऋणी के सारवान् शेयरों का अर्जन करना या निगमित ऋणी का एक या अधिक व्यक्तियों में विलयन या समेकन करना;

(गक) कारपोरेट ऋणी के किन्हीं शेयरों को रद्द या असूचीबद्ध करना, यदि लागू हो;

(घ) किसी प्रतिभूति हित की तुष्टि या उपांतरण करना;

(ड़) निगमित ऋणी से देय किसी ऋण के निबंधनों में सुधार करना या किसी भंग का अधित्यजन करना;

(च) लेनदारों को संदेय रकम में कटौती करना;

(छ) निगमित ऋणी से देय किसी ऋण की परिपक्वता तारीख का विस्तार करना या ब्याज की दर या अन्य निबंधनों में परिवर्तन करना;

(ज) निगमित ऋणी के गठन संबंधी दस्तावेजों में संशोधन करना;

(झ) नकदी, संपत्ति, प्रतिभूतियों के लिए या दावों या हितों के विनिमय या अन्य समुचित प्रयोजन के लिए निगमित ऋणी की प्रतिभूतियों का जारी किया जाना;

(ज) निगमित ऋणी द्वारा उत्पादित या प्रदान किए गए माल या सेवाओं के पोर्टफोलियों में परिवर्तन करना;

(ट) निगमित ऋणी द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करना; और

(ठ) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन अभिप्राप्त करना

27क विनियमन 38. समाधान योजना के अनिवार्य विषय--(1) समाधान योजना के अधीन देय रकम का संदाय –

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

में कहा गया है, आरपी यह जांचने के लिए बाध्य है कि उसे प्राप्त समाधान योजना आईबीसी की धारा 30 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप है या नहीं।

27. धारा 30 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप समाधान योजना को आरपी द्वारा सीओसी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना है। इसके बाद, धारा 30²⁸ की उप-धारा (4) के तहत, सीओसी इसकी व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद योजना को मंजूरी दे सकती है और प्रस्तावित वितरण का तरीका, जो धारा 53 की उप-धारा (1) में निर्धारित लेनदारों के बीच प्राथमिकता के क्रम को ध्यान में रख सकता है, जिसमें एक सुरक्षित लेनदार के सुरक्षा हित की प्राथमिकता और मूल्य और ऐसी अन्य आवश्यकताएं शामिल हैं जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

28. एक बार जब योजना सीओसी द्वारा अनुमोदित हो जाती है, तो आरपी को इसे निर्णायक प्राधिकरण की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करना होता है। आईबीसी की धारा 31²⁹ की उप-धारा (1) के अनुसार, यदि निर्णायक प्राधिकारी संतुष्ट है कि धारा 30 की उप-धारा (4) के तहत सीओसी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना धारा 30 की उप-धारा (2) की आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो उसे समाधान योजना को मंजूरी देनी होगी। इसके अनुमोदन पर, योजना सीडी और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों पर बाध्यकारी हो जाती है, जिसमें केंद्र सरकार कोई राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारी भी शामिल है, जिस पर उस समय लागू किसी भी कानून के तहत उत्पन्न होने वाले बकाये के भुगतान के संबंध में ऋण हो, जैसे वे प्राधिकारी जिन पर वैधानिक बकाया है, गारंटर और समाधान योजना में शामिल अन्य हितधारक। लेकिन जहां निर्णायक प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है

(क) प्रक्रियागत लेनदारों को देय रकम का संदाय करने के मामले में वित्तीय लेनदारों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी; और
(ख) वित्तीय लेनदारों को, जिन्हें धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन मतदान करने का अधिकार प्राप्त है और उन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं किया था, ऐसे वित्तीय लेनदारों के मुकाबले जिन्होंने योजना के पक्ष में मतदान किया था, प्राथमिकता दी जाएगी।
(1 क) समाधान योजना में इस बारे में एक कथन शामिल होगा कि उसमें कारपोरेट ऋणी के समस्त हितधारकों के, जिसके अंतर्गत वित्तीय लेनदार और प्रचालन लेनदार भी हैं, हितों का निपटारा किस प्रकार किया गया है।
(1 ख) समाधान योजना में इस बारे में ब्यौरे देते हुए एक विवरण शामिल होगा कि क्या समाधान आवेदक या उससे संबद्ध कोई पक्षकार, इससे पूर्व किसी भी समय न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समाधान योजना को कार्यान्वित करने में असफल रहा है या उसने उसके कार्यान्वयन की असफलता में योगदान किया है।
(2) किसी समाधान योजना में निम्नलिखित विषय होंगे:
(क) योजना की अवधि और इसकी कार्यान्वयन अनुसूची;
(ख) कारपोरेट लेनदार के कार्यकाल की अवधि के दौरान प्रबंधन और व्यवसायिक नियंत्रण
(ग) इसके कार्यान्वयन की पर्यवेक्षण के लिए पर्याप्त उपाय
(3) किसी समाधान योजना से यह प्रदर्शित होगा कि—
(क) वह व्यतिक्रम के कारण को दूर करती है;
(ख) वह साध्य और व्यवहार्य है,
(ग) उसमें उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपबंध हैं,
(घ) उसमें अपेक्षित अनुमोदनों के लिए और उसकी समय सीमा के लिए उपबंध हैं, और
(ङ) समाधान आवेदक समाधान योजना को कार्यान्वित करने में सक्षम है।

28 धारा 30(4). लेनदारों की समिति, किसी समाधान योजना का, उसकी साध्यता और व्यवहार्यता, प्रस्तावित वितरण की रीति, जिसका निर्धारण करते हुए धारा 53 की उपधारा (1) में यथा अधिकथित रूप से लेनदारों के बीच पूर्विकता, जिसके अंतर्गत किसी प्रतिभूत लेनदार के प्रतिभूति हित की पूर्विकता और मूल्य भी है, के क्रम को ध्यान में रख सकेगा तथा ऐसी अन्य अन्य अपेक्षाओं पर, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, विचार करने के पश्चात् वित्तीय लेनदारों के मत के भाग के कम से कम छियासठ प्रतिशत मत द्वारा अनुमोदन कर सकेगी:

....."

29 धारा 31. समाधान योजना का अनुमोदन – (1) यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन लेनदारों की समिति द्वारा यथा अनुमोदित समाधान योजना धारा 30 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करती है तो वह आदेश द्वारा समाधान योजना को अनुमोदित कर देगा जो निगमित ऋणी और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, [प्रतिभूतिदाताओं और समाधान योजना में सम्मिलित अन्य पणधारियों पर, जिनके अंतर्गत केंद्रीय सरकार, कोई राज्य सरकार या ऐसा कोई स्थानीय प्राधिकारी भी है, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उद्भूत होने वाले शोध्यों के संदाय के संबंध में ऐसे प्राधिकारी के रूप में कोई ऋण देय हैं, जिनको कानूनी शोध्य देय होते हैं। प्रतिभूतिदाताओं और समाधान योजना में सम्मिलित अन्य पणधारियों पर बाध्यकारी होगी :

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

कि समाधान योजना उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, तो यह धारा 31 की उप-धारा (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, एक आदेश द्वारा समाधान योजना को अस्वीकार कर सकता है।

29. घनश्याम मिश्रा एंड संस (प्रा.) लिमिटेड बनाम एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड³⁰ में आईबीसी के तहत सीआईआरपी की योजना की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पाया कि आईबीसी का एक प्रमुख उद्देश्य सीडी को पुनर्जीवित करना और इसे एक सतत चिंता बनाना है। सीआईआरपी शुरू होने पर आरपी को सभी हितधारकों से दावे आमंत्रित करते हुए एक प्रकाशन जारी करना आवश्यक है; इसके बाद, प्राप्त दावों के आधार पर, आरपी को जानकारी एकत्र करने और सूचना ज्ञापन में आवश्यक विवरण जमा करने की आवश्यकता होती है; समाधान आवेदक सूचना ज्ञापन में दिए गए विवरण के आधार पर अपनी योजना प्रस्तुत करते हैं; समाधान योजना (योजनाओं) की आरपी के साथ-साथ सीओसी द्वारा गहन जांच की जाती है; सीओसी और समाधान आवेदक के बीच होने वाली बातचीत में विभिन्न संशोधन किए जा सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय लेनदारों के साथ-साथ परिचालन लेनदारों और अन्य हितधारकों के बकाए का कुछ हिस्सा चुकाते समय, सीडी को दोबारा अस्तित्व में लाया गया है और इसे विचारणीय विषय बना दिया गया है; सीओसी द्वारा योजना को मंजूरी देने के बाद, निर्णायक प्राधिकारी को व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुंचना आवश्यक है कि योजना आईबीसी की धारा 30 की उप-धारा (2) में प्रदान की गई आवश्यकताओं के अनुरूप है; और उसके बाद ही, निर्णायक प्राधिकारी योजना को अपनी मंजूरी दे सकता है।

30. आईबीसी के प्रावधानों और ऊपर देखे गए विनियमों से जो स्पष्ट है, वह है कि आरपी एक वैधानिक दायित्व के तहत है कि वह (ए) उसके सामने किए गए दावे(दावों) और (बी) सीडी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड सहित रिकॉर्ड से एकत्रित की गई जानकारी से प्राप्त डेटा को एकत्रित करे। इस प्रकार एकत्रित किया गया डाटा सूचना ज्ञापन का हिस्सा बनता है। उस जानकारी के आधार पर, समाधान आवेदक (एक) योजना प्रस्तुत करें। परिणामस्वरूप भले ही सीडी के खिलाफ किसी लेनदार द्वारा प्रस्तुत दावा सीआईआरपी विनियम, 2016 में निर्दिष्ट फॉर्म में न हो, तो इस पर आईआरपी या आरपी द्वारा उचित विचार किया जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो, यदि यह अन्यथा सत्यापन योग्य है, तो या तो लेनदार द्वारा प्रस्तुत सबूत से या सीडी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड से। यदि किसी परिचालन ऋणदाता द्वारा खुद को वित्तीय ऋणदाता के रूप में दावा करते हुए दावा प्रस्तुत किया जाता है, तो निश्चित रूप से दावे पर उस श्रेणी में उचित विचार किया जाना चाहिए जिससे वह संबंधित है, बशर्ते वह सत्यापन योग्य हो।

31. समाधान आवेदक द्वारा योजना प्रस्तुत करने पर, आरपी यह पुष्टि करने के लिए इसकी जांच करता है कि यह धारा 30 की उप-धारा (2) की आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं और यदि यह उसमें उल्लिखित शर्तों के अनुरूप है, तो योजना को अनुमोदन के लिए सीओसी के समक्ष प्रस्तुत करें। योजना को मंजूरी के लिए सीओसी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद, धारा 30 की उप-धारा (4) के तहत, सीओसी को इसकी व्यवहार्यता और संभाव्यता, प्रस्तावित वितरण के तरीके, एक सुरक्षित ऋणदाता के सुरक्षा हित की प्राथमिकता और मूल्य और बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अन्य आवश्यकताओं पर विचार करना होगा। एक बार जब वह कार्य समाप्त

30 [2021] 13 एससीआर 737 : (2021) 9 एससीसी 657 (पैराग्राफ 93)

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

हो जाता है, तो योजना को निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत, जिसे स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि धारा 30 की उप-धारा (4) के तहत सीओसी द्वारा अनुमोदित योजना आईबीसी की धारा 30 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है या नहीं।

32. जेपी केंसिंग्टन बुलेवार्ड अपार्टमेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड³¹ मामले में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ को निम्नलिखित द्वारा प्रयोग की जाने वाली न्यायिक समीक्षा के दायरे की जांच करने का अवसर मिला: (क) सीओसी द्वारा अनुमोदित एक समाधान योजना पर, धारा 31 (1) के तहत निर्णायक प्राधिकरण; और (ख) अपीलीय प्राधिकरण आईबीसी की धारा 61 (3) सपठित धारा 32 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। आईबीसी के प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए विनियमों की जांच करने के बाद, और इस विषय पर विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के सर्वेक्षण के बाद, न्यायिक समीक्षा के दायरे को निम्नानुसार संक्षेपित किया गया था:

“108. संक्षेप में कहें तो, समाधान योजना के अनुमोदन के मामले में निर्णायक प्राधिकारी के पास सीमित क्षेत्राधिकार है, जो कि इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्णयों में उल्लिखित मापदंडों के साथ पढ़ी गई संहिता की धारा 30(2) और 31 द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित और सीमित है। अपीलीय प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार भी संहिता की धारा 61 में प्रदान किए गए अपील के सीमित आधारों द्वारा सीमित है। आईबीसी के तहत एक समाधान योजना से संबंधित न्यायिक प्रक्रिया में, सीओसी के निर्णय के व्यावसायिक पहलुओं में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है; और सीओसी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के किसी भी व्यावसायिक शब्द को प्रतिस्थापित करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अपने सीमित क्षेत्राधिकार के भीतर, यदि निर्णय लेने वाला प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, निर्दिष्ट मापदंडों की तुलना में समाधान योजना में कोई कमी पाता है, तो यह संहिता द्वारा उल्लिखित और इस न्यायालय द्वारा बताये गए मापदंडों को पूरा करने के बाद ही समाधान योजना को पुनः प्रस्तुत करने के लिए ऋणदाताओं की समिति को वापस भेजेगा।

(प्रभाव वर्धित)

33. आईबीसी के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए विनियमों के विश्लेषण के आलोक में, हमारे विचार में, यद्यपि किसी समाधान योजना को मंजूरी देने में सीओसी का व्यावसायिक ज्ञान न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में न्यायसंगत नहीं हो सकता है और निर्णायक प्राधिकरण सीआईआरपी विनियम 2016 के विनियम 37 और 38 के साथ आईबीसी की धारा 30 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट मापदंडों के संदर्भ में समाधान योजना में किसी भी कमी पर हमेशा ध्यान दे सकता है। यदि समाधान योजना में ऐसी कोई कमी दिखाई देती है, तो यह निर्धारित मापदंडों को पूरा करने के बाद समाधान योजना को फिर से प्रस्तुत करने के लिए सीओसी को वापस

31 [2021] 12 एससीआर 603 : (2022) 1 एससी 401

अस्वीकरण: “क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

भेज सकता है। इसी प्रकार, अपीलीय प्राधिकारी आईबीसी की धारा 61(3)³³ सपठित धारा 32³² के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए समाधान योजना में कोई कमी पाए जाने पर हस्तक्षेप भी कर सकता है।

34. दिनांक 04.08.2020 के अनुमोदन आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना अपीलकर्ता को एक लेनदार के रूप में संदर्भित करती है जिसने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया था। इसके अलावा, अपीलकर्ता को देय बकाया राशि 13,47,40,819/- रुपये दिखाई गई है, जबकि अपीलकर्ता के अनुसार, उसका दावा 43,40,31,951/- रुपये का था, और इतना ही नहीं, भुगतान की जाने वाली प्रस्तावित राशि मात्र 1,34,74,082/- रुपये है, वह भी प्रत्येक इकाई के पंजीकरण के समय, बकाया राशि को पूरा किए जाने वाले क्षेत्र के वर्ग फुट में परिवर्तित करके और वर्ग फुट के आधार पर भुगतान किया जाना है।

35. हालाँकि, महत्वपूर्ण बात यह है कि न तो एनसीएलटी और न ही एनसीएलएटी ने अपीलकर्ता के दावे को खारिज कर दिया कि 30.01.2020 को, सार्वजनिक घोषणा के जवाब में, अपीलकर्ता ने आरपी के समक्ष सबूत के साथ 43,40,31,951/- रुपये का दावा प्रस्तुत किया था, जो कि अपीलकर्ता के स्वामित्व वाली भूमि के पट्टे/आवंटन के लिए भुगतान न किए गए प्रीमियम के लिए सीडी द्वारा देय राशि थी, जिसमें उस पर देय ब्याज भी शामिल था।

36. अपीलकर्ता के अनुसार, समाधान योजना निम्नलिखित को ध्यान में रखने में विफल है:

(क) अपीलकर्ता ने सबूत के साथ 43,40,31,951/- रुपये का दावा प्रस्तुत किया था; (ख) अपीलकर्ता के पास सीडी की संपत्ति पर वैधानिक आरोप था; (ग) संपूर्ण भूमि जिस पर परियोजना की कल्पना की गई है, अपीलकर्ता के स्वामित्व में है; (घ) बकाया राशि का भुगतान न करने पर पट्टा रद्द करने का नोटिस सीडी पर पहले ही दिया जा चुका था; और (ङ) अपीलार्थी की स्वीकृति के बिना योजना व्यवहार्य नहीं थी। इसके अलावा, अपीलकर्ता के अनुसार, योजना सीआईआरपी विनियम 2016 के विनियम 37 और 38 के साथ पठित आईबीसी की धारा 30 की उप-धारा (2) में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप नहीं थी; और यह कि समाधान योजना तैयार करने और उसे मंजूरी देने की पूरी प्रक्रिया एकपक्षीय थी, जिससे अपीलकर्ता के हितों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अपीलकर्ता का मामला यह है कि न तो एनसीएलटी और न ही एनसीएलएटी ने अपीलकर्ता के आवेदन/अपील को खारिज करते समय उपरोक्त पहलुओं पर उचित विचार किया।

33 धारा 32 अपील- समाधान योजना को अनुमोदित करने वाले किसी आदेश से कोई अपील धारा 61 की उपधारा (3) में अधिकथित रीति और आधारों पर की जाएगी।

32 धारा 61. अपीलें और अपील प्राधिकारी –(1).....

(2).....

(3) धारा 31 के अधीन किसी समाधान योजना के अनुमोदन करने सम्बन्धी किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील निम्नलिखित आधारों पर ही फाइल की जा सकेगी, –

- (i) अनुमोदित समाधान योजना में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है;
- (ii) निगमित दिवाला समाधान अवधि के दौरान समाधान वृत्तिक द्वारा शक्तियों के प्रयोग में तात्त्विक अनियमितता हुई है;
- (iii) निगमित ऋणी के प्रचालन लेनदारों को दिए गए ऋणों का, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में समाधान योजना में उपबन्ध नहीं किया गया है;
- (iv) दिवाला समाधान प्रक्रिया के खर्च का अन्य सभी ऋणों को पूर्विकता देते हुए प्रतिसंदाय करने का उपबन्ध नहीं किया गया है; या
- (v) समाधान योजना में बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य मानदण्ड का अनुपालन नहीं किया गया है।

अस्वीकरण: “क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

37. इसके विपरीत, प्रतिवादियों की ओर से यह कहा गया कि, – (क) अपीलकर्ता ने अपने मामले को केवल इस आधार पर दबाया था कि वह एक वित्तीय ऋणदाता था, एक बार जब यह याचिका अस्थिर पाई जाती है, तो अपीलकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि सीओसी का व्यावसायिक ज्ञान न्यायसंगत नहीं है; (ख) एनसीएलटी के पास अपने अनुमोदन के आदेश को वापस लेने की कोई शक्ति नहीं है, अपीलकर्ता के लिए उपाय कानून द्वारा प्रदान किए गए समय के भीतर अपील दायर करना था; और (ग) अनुमोदन के आदेश पर सवाल उठाने में अपीलकर्ता की ओर से अत्यधिक देरी हुई है।

38. इस स्तर पर, हम यह रिकॉर्ड कर सकते हैं कि अपीलकर्ता ने वित्तीय ऋणदाता के रूप में अपना दावा पेश किया था। हालाँकि, अपीलकर्ता को एक क्रियाशील ऋणदाता पाया गया। हालाँकि इस निष्कर्ष को चुनौती दी गई है, लेकिन बहस के दौरान, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह प्रदर्शित करने में विफल रहे कि अपीलकर्ता को वित्तीय ऋणदाता कैसे माना जा सकता है। इसके मद्देनजर, आनंद सोनभद्र (उपरोक्त) में निर्णय को ध्यान में रखते हुए, हम इस दलील पर विचार करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं कि अपीलकर्ता एक वित्तीय ऋणदाता था।

39. विरोधी तर्कों पर विचार करने पर, इस अपील में हमारे विचार के लिए निम्नलिखित मुद्दे सामने आते हैं:

(i) क्या धारा 60 की उप-धारा (5) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्णायक प्राधिकरण (यानी, एनसीएलटी) आईबीसी की धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत पारित अनुमोदन के आदेश को वापस ले सकता है?

(ii) क्या आदेश वापस लेने का आवेदन समय से बाधित था?

(iii) क्या समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना सीआईआरपी विनियम, 2016 के विनियम 37 और 38 सपठित आईबीसी की धारा 30 की उप-धारा (2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है?

(iv) अपीलकर्ता किस राहत, यदि कोई हो, का हकदार है?

रिकॉल आवेदन विचार योग्य है।

40. आईबीसी की धारा 60 निर्दिष्ट करती है कि कॉर्पोरेट देनदारों और उनके व्यक्तिगत गारंटर्स सहित कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालियापन समाधान और परिसमापन के संबंध में निर्णायक प्राधिकरण एनसीएलटी होगा, जिसका उस स्थान पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र होगा जहां कॉर्पोरेट व्यक्ति का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। धारा 60 की उप-धारा (5) में प्रावधान है कि फिलहाल लागू किसी भी अन्य कानून में कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, एनसीएलटी के पास निम्नलिखित पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा: (क) कॉर्पोरेट देनदार या कॉर्पोरेट व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध कोई आवेदन या कार्यवाही; (ख) कॉर्पोरेट देनदार या कॉर्पोरेट व्यक्ति द्वारा या उसके खिलाफ किया गया कोई भी दावा, जिसमें भारत में स्थित उसकी किसी सहायक कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ दावे शामिल हैं; और (ग) आईबीसी के तहत कॉर्पोरेट देनदार या कॉर्पोरेट व्यक्ति के दिवालियापन समाधान या परिसमापन कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली प्राथमिकताओं या कानून या तथ्यों का कोई भी प्रश्न।

41. एनसीएलटी का गठन केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया है। कंपनी अधिनियम की धारा 408 निम्नलिखित शर्तों में है:

अस्वीकरण: “क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

“ केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, उसमें निर्दिष्ट तारीख से प्रभावी, एक न्यायाधिकरण का गठन करेगी जिसे राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के रूप में जाना जाएगा जिसमें एक अध्यक्ष और उतनी संख्या में न्यायिक और तकनीकी सदस्य होंगे जितने केंद्र सरकार आवश्यक समझे, ऐसी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निर्वहन करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जाना है जो इस अधिनियम या किसी अन्य लागू कानून के तहत या उसके तहत उसे प्रदान की गई हैं या की जा सकती हैं।”

42. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 469 के तहत बनाए गए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नियमावली, 2016 का नियम 11, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908³⁵ की धारा 151³⁴ के साथ सममूल्य पर है, निम्नलिखित शर्तों में न्यायाधिकरण की अंतर्निहित शक्तियों को संरक्षित करता है:

“इन नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने या ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक आदेश देने के लिए ट्रिब्यूनल की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित करता हो।”

43. मनोहर लाल चोपड़ा बनाम राय बहादुर राव राजा सेठ हीरालाल³⁶ मामले में इस न्यायालय की चार-न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायालय में निहित शक्तियों के संदर्भ में धारा 151 सीपीसी की व्याख्या करते हुए अवधारित किया:

“23... धारा स्वयं कहती है कि संहिता में किसी भी चीज को न्याय के लिए आवश्यक आदेश देने की न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को सीमित करने या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा। ऐसे स्पष्ट कथन के सामने, यह मानना संभव नहीं है कि संहिता के प्रावधान अंतर्निहित शक्ति को सीमित करके या अन्यथा प्रभावित करके नियंत्रित करते हैं। न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति प्रदान नहीं की गई है; यह अपने समक्ष पक्षों के बीच न्याय करने के कर्तव्य के आधार पर न्यायालय में निहित एक शक्ति है।”

(प्रभाव वर्धित)

44. ग्रिडलेज बैंक लिमिटेड बनाम सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल³⁷ मामले में एक सवाल उठा कि क्या केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास एकपक्षीय आदेश को वापस लेने/रद्द करने की शक्ति है, जब पीड़ित पक्ष को पर्याप्त कारण से उपस्थित होने से रोका गया था। यह मानते हुए कि ऐसी शक्ति एक न्यायाधिकरण में निहित है, इस न्यायालय ने अवधारित किया:

“6. हमारी राय है कि न्यायाधिकरण के पास न्याय के हित में उचित समझे जाने पर आक्षेपित आदेश पारित करने की शक्ति है। यह सच है कि अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में ट्रिब्यूनल को ऐसा करने का अधिकार क्षेत्र देने वाला कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। लेकिन यह वैधानिक निर्माण का एक प्रसिद्ध नियम है कि एक न्यायाधिकरण या निकाय को ऐसी सहायक या आकस्मिक शक्तियों से संपन्न माना जाना चाहिए जो पक्षकारों के बीच न्याय करने के उद्देश्य

35 सीपीसी

34 इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेशों के देने की न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है, जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए आवश्यक है।

36 [1962] सप्लीमेंट्री (1) एस.सी.आर. 450 : एआईआर 1962 एससी 527

37 [1981] 2 एस.सी.आर. 341 : 1980 सप्लीमेंट्री एससी 420

अस्वीकरण: “क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

से अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकृति के मामले में, हमारा विचार है कि ट्रिब्यूनल को ऐसी आकस्मिक या सहायक शक्तियों से संपन्न माना जाना चाहिए, जब तक कि कानून में इसके विपरीत कोई संकेत न हो। हमें ऐसा कोई वैधानिक निषेध नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर इसके विपरीत संकेत भी मिल रहे हैं।"

(प्रभाव वर्धित)

उपरोक्त के अलावा, प्रक्रियात्मक समीक्षा और गुण-दोष के आधार पर समीक्षा के बीच अंतर को पहचानते हुए, यह अवधारित किया गया:

13... .. अभिव्यक्ति "समीक्षा" का प्रयोग दो अलग-अलग अर्थों में किया जाता है, अर्थात् (1) एक प्रक्रियात्मक समीक्षा जो किसी अदालत या न्यायाधिकरण में गलतफहमी के तहत पारित किए गए स्पष्ट रूप से गलत आदेश को रद्द करने के लिए या तो अंतर्निहित या निहित होती है, और (2) जब त्रुटि को ठीक करने की मांग की जाती है तो गुण-दोष के आधार पर समीक्षा करना कानून में से एक है और रिकॉर्ड पर स्पष्ट है। स्पष्ट है कि जब किसी प्रक्रियात्मक दोष के कारण समीक्षा की मांग की जाती है, तो ट्रिब्यूनल द्वारा की गई अनजाने में हुई त्रुटि को इसकी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्याय के ऋण के रूप में सुधारा जाना चाहिए, और ऐसी शक्ति हर अदालत या ट्रिब्यूनल में निहित है।"

45. पंजाब राज्य बनाम दर्विंदर पाल सिंह भुल्लर³⁸ मामले में, किसी निर्णय की समीक्षा या मामले के निस्तारण के अंतिम आदेश पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 362 द्वारा अदालत पर लगाई गई रोक पर विचार करते हुए, यह अवधारित किया गया:

"46. यदि कोई निर्णय क्षेत्राधिकार के बिना या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए सुनाया गया है या जहां आदेश इससे प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना सुनाया गया है या जहां अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके कोई आदेश प्राप्त किया गया है वास्तव में यह क्षेत्राधिकार के बिना होने के समान होगा, ऐसे आदेश को वापस लेने के लिए अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि ऐसी स्थिति में आदेश अमान्य हो जाता है और सीआरपीसी की धारा 362 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में, निर्णय स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के दूसरे पक्ष को सुनने के नियम के विपरीत है। वापस बुलाने की शक्ति निर्णय को बदलने/समीक्षा करने की शक्ति से भिन्न है। हालाँकि, वापस बुलाने/परिवर्तन की मांग करने वाले पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि उसकी कोई गलती नहीं थी।"

46. उपरोक्त अनुच्छेद को **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कृष्ण कुमार पांडे³⁹** मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा उद्धृत और अनुमोदित किया गया था।

47. बुधिया स्वैन बनाम गोपीनाथ देब⁴⁰ मामले में, कई निर्णयों पर विचार करने के बाद इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अवधारित किया:

38 [2011] 15 एससीआर 540 : (2011) 14 एससीसी 770

39 (2021) 14 एससीसी 683

40 [1999] 2 एससीआर 1189 : (1999) 4 एससीसी 396

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

“8. हमारी राय में कोई ट्रिब्यूनल या न्यायालय अपने द्वारा पहले दिए गए किसी आदेश को वापस ले सकता है यदि

(i) एक आदेश में परिणत होने वाली कार्यवाहियां क्षेत्राधिकार की अंतर्निहित कमी से ग्रस्त हैं और क्षेत्राधिकार की ऐसी कमी स्पष्ट हो,

(ii) निर्णय प्राप्त करने में धोखाधड़ी या मिलीभगत मौजूद हो,

(iii) न्यायालय द्वारा किसी पक्ष पर पूर्वाग्रह डालने में गलती हुई हो, या

(iv) एक निर्णय इस तथ्य की अनदेखी में दिया गया था कि एक आवश्यक पक्ष को बिल्कुल भी सेवा नहीं दी गई थी या उसकी मृत्यु हो गई थी और संपत्ति का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था।

किसी निर्णय को वापस लेने की शक्ति का प्रयोग तब नहीं किया जाएगा जब कार्यवाही को फिर से खोलने या निर्णय को रद्द करने का आधार मूल कार्रवाई में अनुरोध करने के लिए उपलब्ध था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था या जहां अपील के माध्यम से किसी अन्य कार्यवाही में उचित उपाय किया गया था या संशोधन उपलब्ध था लेकिन उसका लाभ नहीं उठाया गया।

किसी फैसले पर रोक लगाने का अधिकार छूट, रोक या सहमति से खत्म हो सकता है।”

48. उपरोक्त निर्णयों से जो कानून प्रकट होता है वह यह है कि एक ट्रिब्यूनल या न्यायालय को ऐसी सहायक या आकस्मिक शक्तियां प्रदान की जाती हैं जो पक्षकारों के बीच न्याय करने के उद्देश्य से अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं और वैधानिक निषेध के अभाव में, उपयुक्त मामले में, वह ऐसी सहायक या आकस्मिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने आदेश को वापस ले सकता है।

49. एक हालिया फैसले (अर्थात् यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम दिनाकर टी. वेकाटासुब्रमण्यन और अन्य) में, एनसीएलएटी की पांच सदस्यीय पूर्ण पीठ ने कहा कि हालांकि समीक्षा करने की शक्ति ट्रिब्यूनल को नहीं दी गई है, लेकिन अपने निर्णय को वापस लेने की शक्ति ट्रिब्यूनल में अंतर्निहित है और एनसीएलटी नियमावली, 2016 के नियम 11 द्वारा संरक्षित है। किसी निर्णय को वापस लेने की शक्ति का प्रयोग तब किया जा सकता है जब पिछला निर्णय देने में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि हुई हो; उदाहरण के लिए, आवश्यक पक्ष को सेवा प्रदान नहीं की गई है या किसी पक्ष के प्रतिकूल निर्णय सुनाए जाने पर आवश्यक पक्ष ट्रिब्यूनल के समक्ष मौजूद नहीं था। यह देखा गया कि किसी निर्णय को वापस लेने के अन्य आधार भी हो सकते हैं, उनमें से एक यह है कि जहां निर्णय प्राप्त करने में न्यायालय के साथ धोखाधड़ी की जाती है। एनसीएलएटी के इस निर्णय को इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने सिविल अपील संख्या 4620 सन् 2023 (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम मेसर्स एमटेक ऑटो लिमिटेड और अन्य के वित्तीय लेनदारों) मामले में आदेश दिनांक 31.07.2023 के जरिए बरकरार रखा था।

50. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, जो प्रकट होता है वह यह है कि, किसी न्यायालय या ट्रिब्यूनल के पास, इसके विपरीत किसी प्रावधान के अभाव में, न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने और/या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किसी आदेश को वापस लेने की अंतर्निहित शक्ति है। न तो आईबीसी और न ही उसके तहत बनाए गए नियम, किसी भी तरह से ऐसी अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग पर रोक लगाते हैं। बल्कि, आईबीसी की धारा 60(5)(सी), जो बिना अवरोध के प्रकट होती है, एनसीएलटी (न्यायनिर्णयन प्राधिकरण)

अस्वीकरण: “क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

को आईबीसी के तहत कॉर्पोरेट देनदार या कॉर्पोरेट व्यक्ति के दिवाला समाधान या परिसमापन कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले प्राथमिकताओं के किसी भी प्रश्न या कानून या तथ्यों के किसी भी प्रश्न पर विचार करने या निस्तारण करने का अधिकार देता है। इसके अलावा, एनसीएलटी नियमावली, 2016 का नियम 11 ट्रिब्यूनल की अंतर्निहित शक्ति को संरक्षित करता है। इसलिए, ट्रिब्यूनल को अपना आदेश वापस लेने का अधिकार देने वाले किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में भी, ट्रिब्यूनल के पास अपना आदेश वापस लेने की शक्ति है। हालाँकि, ऐसी शक्ति का प्रयोग संयमित ढंग से किया जाना चाहिए, न कि मामले की दोबारा सुनवाई के लिए एक उपकरण के रूप में।

आमतौर पर, किसी आदेश को वापस लेने का आवेदन अन्य बातों के साथ-साथ सीमित आधारों पर विचारणीय होता है, जहां (क) आदेश क्षेत्राधिकार के बिना है; (ख) आदेश से व्यथित पक्ष को उन कार्यवाही की सूचना नहीं दी गई है जिसमें वापस लेने के तहत आदेश पारित किया गया है; और (ग) आदेश तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके या न्यायालय/ट्रिब्यूनल के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त किया गया है जिसके परिणामस्वरूप न्याय की घोर विफलता हुई है।

51. मौजूदा मामले में, रिकॉल आवेदन यह दावा करते हुए दायर किया गया था कि, - (क) अपीलकर्ता को सीओसी की बैठकों के बारे में सूचित नहीं किया गया था; (ख) निर्णायक प्राधिकारी द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन के चरण तक की कार्यवाही एकपक्षीय थी; (ग) आरपी ने गलत तरीके से प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया था, अन्यथा, अपीलकर्ता के प्रति बकाया राशि से अधिक राशि का दावा प्रस्तुत किया गया था; और (घ) योजना को मंजूरी देने में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की ओर से घोर गलती हुई, जो आईबीसी की धारा 30 की उप-धारा (2) में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करती थी।

52. हमारे विचार में, लिए गए आधार वैध आधार के रूप में योग्य हैं, जिस पर अनुमोदन के आदेश दिनांक 04.08.2020 को वापस लेने की मांग की जा सकती है। इस प्रकार हम मानते हैं कि रिकॉल आवेदन विचारणीय था, भले ही न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पारित अनुमोदन के आदेश के खिलाफ एनसीएलटी के समक्ष अपील की गई थी।

रिकॉल आवेदन समय बाधित नहीं था।

53. जहां तक इस दलील का संबंध है कि रिकॉल आवेदन को समय बाधित कर दिया गया था, यह कहना पर्याप्त है कि योजना की मंजूरी के संबंध में निगरानी एजेंसी से दिनांक 24.09.2020 को जानकारी मिलने पर आईए नंबर 344/2021 दिनांक 6.10.2020 को दायर किया गया था। इसी तरह, सीमा के विस्तार के लिए संज्ञान (उपरोक्त) में इस न्यायालय के दिनांक 8.03.2021 के आदेश के संदर्भ में, आईए संख्या 1380/2021 15.03.2021 को तुरंत दायर किया गया था जब 15.03.2020 और 14.03.2021 के बीच किसी भी मुकदमे, अपील, आवेदन या कार्यवाही के लिए सीमा की अवधि का निलंबन हटा दिया गया था। इसलिए, हमें इस दलील में कोई बल नहीं मिला कि आवेदनों पर समयसीमा रोक दी गई थी।

समाधान योजना सीआईआरपी विनियमन, 2016 के विनियम 37 और 38 सपठित आईबीसी की धारा 30 (2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है।

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

54. हमारे विचार में समाधान योजना निम्नलिखित कारणों से सीआईआरपी विनियमन, 2016 के विनियम 37 और 38 सपठित आईबीसी की धारा 30(2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है:

(क). समाधान योजना से पता चला कि अपीलकर्ता ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया, जबकि अपीलकर्ता का मामला अप्राप्य था कि इसने सबूत के साथ दिनांक 30.01.2020 को 43,40,31,951/- रुपये की राशि के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया था और इसमें कोई संदेह नहीं है कि रिकॉर्ड इंगित करता है कि अपीलकर्ता को फॉर्म सी (वित्तीय ऋणदाता के लिए) के स्थान पर फॉर्म बी (परिचालन ऋणदाता के लिए) में अपना दावा प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। लेकिन, यह मानते हुए कि अपीलकर्ता ने सलाह पर ध्यान नहीं दिया, एक बार जब दावा सबूत के साथ प्रस्तुत किया गया था, तो इसे केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह एक अलग फॉर्म में था। जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, हमारे विचार में जिस फॉर्म में दावा प्रस्तुत किया जाना है वह निर्देशिका है। जरूरी यह है कि दावे को सबूत से समर्थन मिलना चाहिए। यहां, समाधान योजना न केवल किए गए दावे को स्वीकार करने में बल्कि देय और भुगतान योग्य राशि के सही आंकड़े का उल्लेख करने में भी विफल रहती है। समाधान योजना के अनुसार, बकाया राशि 13,47,40,819/- रुपये थी, जबकि अपीलकर्ता के अनुसार, देय राशि और जिसके लिए दावा किया गया था वह 43,40,31,951/- रुपये थी। हमारे विचार में, जैसा भी मामला हो, इस चूक या त्रुटि ने समाधान योजना को भौतिक रूप से प्रभावित किया क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जिस पर विचार किया जाना चाहिए था। जानकारी को रोकने से अपीलकर्ता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि सबसे पहले इसने सीओसी की बैठक का नोटिस दिए जाने के उसके अधिकार को प्रभावित किया, जो कि आईबीसी की धारा 24 (3) (सी) के तहत एक परिचालन ऋणदाता को उपलब्ध था, जिसका कुल बकाया ऋण का दस प्रतिशत से कम नहीं था और, दूसरे, प्रस्तावित योजना में अपीलकर्ता के लिए परिव्यय कम हो गया जो बकाया देय राशि का एक प्रतिशत था। हमारे विचार में, उपरोक्त कारणों से समाधान योजना गलत हो गई। हालाँकि, न तो एनसीएलटी और न ही एनसीएलएटी ने उपरोक्त पहलुओं पर खुद को संबोधित किया जो उनके आदेशों को असुरक्षित और न्यायिक समीक्षा के योग्य बनाता है।

(ख). समाधान योजना ने अपीलकर्ता को विशेष रूप से एक सुरक्षित ऋणदाता की श्रेणी में नहीं रखा, भले ही, 1976 अधिनियम की धारा 13-ए के आधार पर, उसे देय राशि के संबंध में, सीडी की संपत्ति पर एक शुल्क बनाया गया था। सीआईआरपी विनियम 2016 के विनियम 37 के अनुसार, एक समाधान योजना में सीडी के दिवालियेपन के समाधान के लिए उसकी परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए आवश्यक उपाय प्रदान किए जाने चाहिए, जिनमें किसी भी सुरक्षा हित की संतुष्टि या संशोधन शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। इसके अलावा, स्पष्टीकरण 1 के अनुसार, धारा 30 की उप-धारा (2) के खंड (बी) के तहत वितरण प्रत्येक वर्ग के लेनदारों के लिए उचित और न्यायसंगत होना चाहिए। अपीलकर्ता को सुरक्षित लेनदारों की श्रेणी में न रखे जाने से इसके हित पर असर पड़ा। हालाँकि, न तो एनसीएलटी और न ही एनसीएलएटी ने योजना में इस विसंगति पर ध्यान दिया, जो उनके आदेश को खराब करता है

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(ग). अन्य बातों के साथ-साथ, सीआईआरपी विनियम, 2016 के विनियम 38 (3) के तहत, एक समाधान योजना को यह प्रदर्शित करना होगा कि (क) यह व्यवहार्य और व्यावहारिक है; और (ख) इसमें आवश्यक अनुमोदन और उसके लिए समय-सीमा के प्रावधान हैं। वर्तमान मामले में, योजना में अपीलकर्ता के स्वामित्व वाली भूमि के उपयोग की कल्पना की गई थी। आमतौर पर, किसी योजना की व्यवहार्यता और व्यावहारिकता आर्थिक निर्णय सीओसी के व्यावसायिक ज्ञान पर छोड़ देना सबसे अच्छा है।

हालाँकि, जहां योजना सीडी के स्वामित्व में नहीं बल्कि अपीलकर्ता जैसे किसी तीसरे पक्ष द्वारा भूमि के उपयोग की परिकल्पना करती है, जो एक वैधानिक निकाय है, जो वैधानिक क्षेत्र वाले अपने स्वयं के नियमों और विनियमों से बंधा हुआ है, योजना की व्यवहार्यता की बारीकी से जांच होनी चाहिए। यहां, सीडी की ओर से किस्तों के भुगतान में चूक हुई, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर मांग उठी और पूर्व-रद्दीकरण नोटिस जारी किया गया। इन परिस्थितियों में, क्या समाधान योजना वैधानिक प्राधिकरण की आवश्यक मंजूरी की परिकल्पना करती है, यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर योजना की व्यवहार्यता निर्भर करती है। दुर्भाग्य से, अनुमोदन आदेश में ऐसी स्वीकृतियों की परिकल्पना नहीं की गई है। लेकिन न तो एनसीएलटी और न ही एनसीएलएटी ने उन पहलुओं पर विचार किया।

राहत

55. जैसा कि हमने पाया है कि अपीलकर्ता के आवेदन/अपील पर निर्णय लेते समय न तो एनसीएलटी और न ही एनसीएलएटी ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि – (क) अपीलकर्ता को सीओसी की बैठक का नोटिस नहीं दिया गया था; (ख) समाधान योजना के अनुमोदन के चरण तक की संपूर्ण कार्यवाही अपीलकर्ता के लिए एक पक्षीय थी; (सी) अपीलकर्ता ने अपना दावा प्रस्तुत कर दिया था, और कानून के तहत वह एक सुरक्षित ऋणदाता था, फिर भी समाधान योजना ने अपीलकर्ता को ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया था; और (घ) समाधान योजना सीआईआरपी विनियमन, 2016 के विनियम 37 और 38 सपठित आईबीसी की धारा 30 की उप-धारा (2) में निर्धारित सभी मापदंडों को पूरा नहीं करती है, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता की अपीलें स्वीकार किए जाने की हकदार हैं और तदनुसार उन्हें अनुमति दी जाती है। दिनांक 24.11.2022 का आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है। एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देने वाला दिनांक 04.08.2020 का आदेश अपास्त किया जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, कोड द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करने के बाद समाधान योजना को पुनः प्रस्तुत करने के लिए सीओसी को वापस भेजा जाएगा। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

हेडनोट को दिव्या पांडे द्वारा तैयार किया गया।

वाद का परिणाम: अपील को अनुमति दी गई।

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"